



राज्य सूचना आयोग  
बिहार, पटना

के० संख्या- 84/06-07

विषय:- श्री निर्मल कुमार गोयंका, [ग्राम+पोस्ट-64/21](#), शारदा नगर, जिला-सीतामढ़ी का प्राप्त आवेदन-पत्र।

20.11.2006 आवेदक को पूरे तथ्य के साथ सुनवाई हेतु दिनांक 07.12.2006 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बुलावें।

(पी०एन० नारायणन)  
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)  
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.12.2006 आवेदक उपस्थित थे। संबन्धित लोक सूचना पदाधिकारी (सचिव, बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर) से दिनांक 08.01.07 तक मंतव्य की मांग की जाय तथा सुनवाई हेतु दिनांक 10.01.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में रखा जाय।

(पी०एन० नारायणन)  
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)  
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

10.01.2007 चूँकि प्रस्तुत मामला भी केस संख्या-78 के सदृश्य है और अपीलकर्ता भी वे ही (श्री निर्मल कुमार गोयंका) हैं, अतः केस सं०-78 में दिनांक-10.01.2007 को पारित आदेश इस केस सं०-86 में भी प्रभावी होंगे। सुनवाई की तिथि 12.02.2007 को 10:30 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की जाती है।

(पी०एन० नारायणन)  
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)  
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

12.02.2007 सभी मामलों में आवेदक श्री निर्मल कुमार गोयंका हैं एवं वे सभी मामले बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। अतः सभी मामलों को एकसाथ सूना गया। आयोग के दिनांक-10.01.07 के निर्देश के तहत कुलपति, कुलसचिव एवं सहायक लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं। कुलसचिव द्वारा एक पत्र भी आयोग को दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 35 मामलों में से 32 मामलों में सूचना दे दी गयी है और बचे हुए 3 मामलों यथावाद संख्या-82, 198, 202 में बहुत जल्दी ही सूचना प्रदान कर दी जायेगी। वादी का कहना है कि सूचनाएँ उन्हें दी गयी है वे अपूर्ण, भ्रामक, मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः उन्होंने रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए समय की मांग की है। कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से भी धारा-20 के तहत दी गयी नोटिस के जवाब में कारण-पृच्छा नहीं की गयी है। अतः उनकी ओर से भी समय की मांग की गयी है। दोनों ओर से सुनवाई के बाद आयोग इस निर्णय पर पहुँचती है कि एक और समय वादी को रिज्वाइन्डर फाइल करने के लिए दिया जाए और इस बीच कारण पृच्छा भी आयोग के समक्ष कुलपति एवं कुलसचिव की ओर से दायर किया जाए। वादी दिनांक-26.02.07 तक रिज्वाइन्डर फाइल करते हुए उसकी एक प्रति आयोग को दाखिल करें। उसी प्रकार कुलपति एवं कुलसचिव, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर भी कारणपृच्छा आयोग को दाखिल करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक-07.03.07 को 10.30 बजे पूर्वाह्न रखी जाती है। तबतक कुलपति एवं कुलसचिव निर्देश के पालन में वादी को बाकी सूचनाएँ भी प्रदान कर सकते हैं और उसकी एक प्रति आयोग को अगली तारीख को प्रदान कर सकते हैं। चूँकि यह आदेश सभी पक्षों के समक्ष पारित किया गया है, अतएव अलग से नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(पी0एन0 नारायणन)  
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)  
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

07.03.2007

वादी उपस्थित हैं। प्रतिवादी कुलपति, कुलसचिव एवं बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अन्य दो पदाधिकारी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित हैं तथा कारण-पृच्छा भी समर्पित किए हैं जिसे आयोग मंजूर करती है तथा धारा 20 (1) के तहत दी गई नोटिस से वरी करती है।

वादी को सूचना दे दी गयी है। अतएव, वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी0एन0 नारायणन)  
राज्य सूचना आयुक्त

(मो0 शकील अहमद)  
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)  
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त